



नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु कार्यक्रम 2023-24

क. 112/अ.स./2023

दिनांक: 30.11.2023

## Bachelor of Fishery Science (B.F.Sc.)

द्वितीय चरण ऑनलाइन काउंसलिंग में पंजीयन हेतु न्यूनतम अंक सीमा (Cut off Marks)

क्र.	श्रेणी	पी.व्ही. एण्ड एफ .टी. 2023 में प्राप्त प्राप्तांक
1	अनारक्षित श्रेणी की समस्त महिला / आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी की महिला अभ्यर्थी UR (F)/EWS(F)	30 या अधिक
2	अनारक्षित श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी UR (X)	48 या अधिक
3	आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी (EWS)(X)	30 या अधिक
4	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी OBC(F)	43 या अधिक
5	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी OBC(X)	48 या अधिक
6	अनु. जाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी SC (F)	39 या अधिक
7	अनु. जाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी SC (X)	39 या अधिक
8	अनु. जनजाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी ST(F)	37 या अधिक
9	अनु. जनजाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी ST (X)	37 या अधिक

वर्ग: F = महिला, X = इन में से कोई नहीं अर्थात् बिना वर्ग, EWS = आर्थिक रूप से कमजोर

- प्रवेश नियम, शर्तें एवं काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी [www.ndvsu.org](http://www.ndvsu.org) तथा [www.crisponlineservices.com](http://www.crisponlineservices.com) पर उपलब्ध है वे यथावत रहेगी जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद ही ऑनलाइन पंजीयन करायें।

काउंसलिंग के चरण	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता क्रम का चयन एवं पोर्टल शुल्क का मुग्तान कर लॉक करना	आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ अभ्यर्थी की स्वयं की उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश	प्रवेश के पश्चात् अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना	अपग्रेडेशन के पश्चात् रिक्त सीटों की जानकारी
द्वितीय चरण	01/12/2023 से 03/12/2023 (रात 12 बजे तक)	05/12/2023	06/12/2023 एवं 07/12/2023 (अवकाश दिवस छोड़कर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	निरंक	निरंक

- अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि द्वितीय चरण के पंजीयन करते समय बेबसाईट में प्रथम चरण के प्रवेशित छात्र-छात्राओं का अपग्रेडेशन होने के पश्चात् रिक्त सीटों का अवलोकन करें।
- प्रवेशित छात्र-छात्राओं द्वारा प्रवेश निरस्त कराये जाने पर बेबसाईट में प्रदर्शित रिक्त सीटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।
- अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण में अपना पंजीयन करवा लिया है, उन्हें द्वितीय चरण में पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है।

कुलसचिव/  
अध्यक्ष काउंसलिंग समिति